मुण्डावर (खैरथल

17/11/25 – आज पत्रावली पेश हुई बमौला वादी उपस्थित है। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल की पत्रावली फैसला अनुसार हो नम्बर से मय हो। बाद तकमील जिला रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
153 / 22	22 / 08 / 22	17 / 11 / 25

/ / उनवान / /

1. अतरसिंह पुत्र मंगी जाति जाट
2. जलैसिंह पुत्र मंगी जाति जाट
3. रैणु चौधरी पत्नि हरवेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर। राज0
4. शुभराम पुत्र मंगी (मृतक)
   4/1 हरवेन्द्रसिंह पुत्र श्री शुभराम
   4/2 राजबाला पत्नि शुभराम जातियान जाट निवासीयान नंगलीऔझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

:– वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र छीतर जाति जाट
2. मातादीन पुत्र छीतर जाति जाट
3. रामपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट
4. धर्मपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट
5. लीलाराम पुत्र बुधराम जाति जाट
6. शिवराम पुत्र बुधाराम जाति जाट
7. मदनलाल पुत्र बिहारीलाल जाति जाट
8. सुमेरसिंह पुत्र श्रीया जाति जाट
9. ख्यालीराम पुत्र श्रीया जाति जाट
10. दुलीचन्द पुत्र श्रीया जाति जाट
11. नेतराम पुत्र श्रीया जाति जाट
12. सुबेसिंह पुत्र श्रीया जाति जाट
13. मदन पुत्र बिहारी जाति जाट (तर्क)
14. महेन्द्र पुत्र पतराम जाति जाट निवासीयान नंगलीऔझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर। राज0
15. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह यादव

निर्णय दिनांक :– 17/11/2025

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 265 रकबा 0.51 हैक्0, 315 रकबा 0.01 हैक्0, 316 रकबा 0.41 हैक्0, 396 रकबा 0.13 हैक्0, 410 रकबा 0.01हैक्0, 411 रकबा 1.18 हैक्0, 568 रकबा 0.25 हैक्0, 646 रकबा 0.51 हैक्0, 702 रकबा 0.66 हैक्0, 714 रकबा 0.68 हैक्0, 836 रकबा 0.47 हैक्0, 837 रकबा 0.51 हैक्0, 100 रकबा 0.01 हैक्0, 101 रकबा 0.01 हैक्0, 102 रकबा 0.56 हैक्0, 67 रकबा 0.33 हैक्0, 99 रकबा 0.58 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। मौके पर मिन वादीगण काबिज है काश्त कर रहे है। लगान राजस्व सरकार में मिन वादीगण जमा करा रहे है।
3. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 का विवादित आराजी से कोई लेना दिना नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। ना कोई प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोइ सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। ना कभी विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने काश्त किया ना कभी कब्जा रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण आपस में साजबाज होकर और प्रतिवादी न 15 से मिलकर राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी का अंकन करा लिया जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।
4. यह है कि मिन वादीगण की खातेदारी आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी प्रतिवादीगण के नाम अमल होने से मिन वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जबकि मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है इसलिए मिन वादी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम शिकमी का अम हजफ कराने का अधिकारी है। जिस हेतु दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है।
5. यह है उक्त विदित आरजी मिन वादीगण की दादालाई आराजी है विरासत में प्राप्त है प्रतिवादीगण का कोई संबन्ध व सरोकार नहीं है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी में शिकमी का अमल कराया है। जो बिना अधिकार के बिना कानून के किया है जिसे मिन वादीगण हजफ कराने के अधिकारी है।
6. यह है कि मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। जिनकी रक्षार्थ हेतु मिन वादीगण शिकमी के अमल को हजफ कराने के अधिकारी है।
7. यह है कि प्रतिवादीगण का कोई संबन्ध विवादित आराजी से नहीं है और राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी के अमल से मिन वादीगण को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। इसलिए मिन वादीगण प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में जो शिकमी का अमल दर्ज किया है। दुरूस्त करके हटाया जावे। हजफ किया जावे।
8. यह है कि प्रतिवादी नम्बर 15 से और प्रतिवादीगण से मिन वादीगण ने उक्त गलत अमल को हटाने बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अमल हजफ करने बाबत कई बार कहा लेकिन अब दिनांक 09.08.2022 को प्रतिवादीगण ने मना कर दिया कि हम शिकमी का अमल नही हटा सकते ना हटायेंगे। बस यही तारीख बिनायदावी बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।
9. यह है कि प्रतिवादी संख्या 15 को दावा दायरी से पूर्व 2 माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अरजेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस का समय नहीं रहा बिना नोटिस दावा पेश है। साथ में प्रार्थना–पत्र 80(2) जाप्ता दीवानी संलग्न है।
10. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। सुनने योग्य है।
11. यह है कि दिनांक 09.08.2022 को बिनायदावी बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

12. यह है कि दावा हाजा पर उचित कोर्ट फीस चस्पा है।
13. अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार फरमाया जावे।
14. (अ) यह करार दिया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल265 रकबा 0.51 हैक्0, 315 रकबा 0.01 हैक्0, 316 रकबा 0.41 हैक्0, 396 रकबा 0.13 हैक्0, 410 रकबा 0.01हैक्0, 411 रकबा 1.18 हैक्0, 568 रकबा 0.25 हैक्0, 646 रकबा 0.51 हैक्0, 702 रकबा 0.66 हैक्0, 714 रकबा 0.68 हैक्0, 836 रकबा 0.47 हैक्0, 837 रकबा 0.51 हैक्0, 100 रकबा 0.01 हैक्0, 101 रकबा 0.01 हैक्0, 102 रकबा 0.56 हैक्0, 67 रकबा 0.33 हैक्0, 99 रकबा 0.58 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मु ण्डावर जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 का विवादित आराजी से कोई लेना दिना नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। ना कोई प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोइ सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। ना कभी विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने काश्त किया ना कभी कब्जा रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण आपस में साजबाज होकर और प्रतिवादी न 15 से मिलकर राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी का अंकन करा लिया जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।शिकमी का अमल है जिसे हटाया जावे हजफ किया जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) दीगर दादरसी –

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 विधिवत तलबी के बावजूद अनुपस्थित रहे तथा उनके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 15 को अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब प्रतिवादी बंद किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र पीडब्लयू–1 सत्यवीर पुत्र दीनाराम , पीडब्लयू–2 अतरसिंह पुत्र मंगी एवं पीडब्ल्यू 3 बलजीत पुत्र जलेसिंह साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 आराजी खसरा नम्बर 265, 315, 316, 396, 410, 411, 568, 646, 702, 714, 836, 837,100, 101, 102, 67, 99 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया आराजी आराजी खसरा नम्बर हाल 265 रकबा 0.51 हैक्0, 315 रकबा 0.01 हैक्0, 316 रकबा 0.41 हैक्0, 396 रकबा 0.13 हैक्0, 410 रकबा 0.01हैक्0, 411 रकबा 1.18 हैक्0, 568 रकबा 0.25 हैक्0, 646 रकबा 0.51 हैक्0, 702 रकबा 0.66 हैक्0, 714 रकबा 0.68 हैक्0, 836 रकबा 0.47 हैक्0, 837 रकबा 0.51 हैक्0, 100 रकबा 0.01 हैक्0, 101 रकबा 0.01 हैक्0, 102 रकबा 0.56 हैक्0, 67 रकबा 0.33 हैक्0, 99 रकबा 0.58 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। मौके पर मिन वादीगण काबिज है काश्त कर रहे है। लगान राजस्व सरकार में मिन वादीगण जमा करा रहे है। करार दिया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल265 रकबा 0.51 हैक्0, 315 रकबा 0.01 हैक्0, 316 रकबा 0.41 हैक्0, 396 रकबा 0.13 हैक्0, 410 रकबा 0.01हैक्0, 411 रकबा 1.18 हैक्0, 568 रकबा 0.25 हैक्0, 646 रकबा 0.51 हैक्0, 702 रकबा 0.66 हैक्0, 714 रकबा 0.68 हैक्0, 836 रकबा 0.47 हैक्0, 837 रकबा 0.51 हैक्0, 100 रकबा 0.01 हैक्0, 101 रकबा 0.01 हैक्0, 102 रकबा 0.56 हैक्0, 67 रकबा 0.33 हैक्0, 99 रकबा 0.58 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मु ण्डावर जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 का विवादित आराजी से कोई लेना दिना नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। ना कोई प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोइ सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। ना कभी विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने काश्त किया ना कभी कब्जा रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण आपस में साजबाज होकर और प्रतिवादी न 15 से मिलकर राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर उक्त विवादित आराजी के

सहायक कलक्टर (फा॰ट्रै॰)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी का अंकन करा लिया जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। शिकमी का अमल है जिसे हटाया जावे हजफ किया जावे। आदेश दिये जाने बाबत निवेदन रहा।

वकील वादीगण ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की हाल **आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 0.51 हैक0, 315 रकबा 0.01 हैक0, 316 रकबा 0.41 हैक0, 396 रकबा 0.13 हैक0, 410 रकबा 0.01हैक0, 411 रकबा 1.18 हैक0, 568 रकबा 0.25 हैक0, 646 रकबा 0.51 हैक0, 702 रकबा 0.66 हैक0, 714 रकबा 0.68 हैक0, 836 रकबा 0.47 हैक0, 837 रकबा 0.51 हैक0, 100 रकबा 0.01 हैक0, 101 रकबा 0.01 हैक0, 102 रकबा 0.56 हैक0, 67 रकबा 0.33 हैक0, 99 रकबा 0.58 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर में शिकमी स्वरूप हो रहे प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
153 / 22	22 / 08 / 22	17 / 11 / 25

// उनवान //

1. अतरसिंह पुत्र मंगी जाति जाट
2. जलैसिंह पुत्र मंगी जाति जाट
3. रैणु चौधरी पत्नि हरवेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर। राज0
4. शुभराम पुत्र मंगी (मृतक)
   4/1 हरवेन्द्रसिंह पुत्र श्री शुभराम
   4/2 राजबाला पत्नि शुभराम जातियान जाट निवासीयान नंगलीऔझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

:– **वादीगण**

बनाम

1. जीतराम पुत्र छीतर जाति जाट
2. मातादीन पुत्र छीतर जाति जाट
3. रामपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट
4. धर्मपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट
5. लीलाराम पुत्र बुधराम जाति जाट
6. शिवराम पुत्र बुधाराम जाति जाट
7. मदनलाल पुत्र बिहारीलाल जाति जाट
8. सुमेरसिंह पुत्र श्रीया जाति जाट
9. ख्यालीराम पुत्र श्रीया जाति जाट
10. दुलीचन्द पुत्र श्रीया जाति जाट
11. नेतराम पुत्र श्रीया जाति जाट
12. सुबेसिंह पुत्र श्रीया जाति जाट
13. मदन पुत्र बिहारी जाति जाट (तर्क)
14. महेन्द्र पुत्र पतराम जाति जाट निवासीयान नंगलीऔझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर। राज0
15. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह यादव

सहायक कलक्टर (फा0टै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

—:पर्चा डिक्री:—

वादी की और से श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 15.10.2025 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ है। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी कि जाती है।

हाल आराजी **आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 0.51 हैक्0, 315 रकबा 0.01 हैक्0, 316 रकबा 0.41 हैक्0, 396 रकबा 0.13 हैक्0, 410 रकबा 0.01हैक्0, 411 रकबा 1.18 हैक्0, 568 रकबा 0.25 हैक्0, 646 रकबा 0.51 हैक्0, 702 रकबा 0.66 हैक्0, 714 रकबा 0.68 हैक्0, 836 रकबा 0.47 हैक्0, 837 रकबा 0.51 हैक्0, 100 रकबा 0.01 हैक्0, 101 रकबा 0.01 हैक्0, 102 रकबा 0.56 हैक्0, 67 रकबा 0.33 हैक्0, 99 रकबा 0.58 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर में शिकमी स्वरूप हो रहे प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।**

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **17.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाई गयी।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल—तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल—तिजारा)